



स्थापना वर्ष-1966

कॉलेज कोड-0006

# महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज

एस. एन. मार्ग, फिरोजाबाद-283203 (उ.प्र.)

## Mhatma Gandhi Balika Vidyalaya (P.G.) College

S. N. Marg, Firozabad-283203 (U.P.)

NAAC Accredited : B+ Grade

Affiliated By : Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra  
(Formerly : Agra University)

Website : [mgbvpgcollege.com](http://mgbvpgcollege.com)  
Email Id : [mgbvpgcfzd@yahoo.com](mailto:mgbvpgcfzd@yahoo.com)

University Website : [dbrau.ac.in](http://dbrau.ac.in)  
Email Id : [vc@dbrau.ac.in](mailto:vc@dbrau.ac.in), [registrar@dbrau.ac.in](mailto:registrar@dbrau.ac.in)

# Prospectus

## 2025-2026

मूल्य 400/- रुपया  
संख्या :



## प्रबंध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य

1.	श्री धर्मेन्द्र नाथ शर्मा	-	अध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	-	उपाध्यक्ष
3.	श्री अनुपम कुमार गुप्ता	-	कोषध्यक्ष
4.	श्री सतीश चन्द्र गुप्ता	-	सचिव
5.	श्रीमती मंजनी गुप्ता	-	उप-सचिव
6.	श्री ललतेश जैन	-	अंकैक्षक
7.	श्रीमती (डॉ.) निर्मला यादव	-	सदस्य
8.	श्री सुधीर कुमार गुप्ता	-	सदस्य
9.	श्री डॉ० नीरज कुमार गुप्ता	-	सदस्य
10.	श्री मोहन किशोर गुप्ता	-	सदस्य
11.	श्री सुरेश चन्द्र बंसल	-	सदस्य
12.	श्रीमती मृदुला जैन	-	सदस्य
13.	श्री मोहनलाल अग्रवाल	-	सदस्य
14.	श्री मनीष असीजा	-	सदस्य
15.	श्री देवीचरन अग्रवाल	-	सदस्य
16.	श्री राजकुमार मिश्र	-	सदस्य
17.	श्रीमती रजनी जैन	-	सदस्य
18.	प्रो. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	-	पदेन सदस्य

# महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज, फिरोजाबाद

[www.mgbvpgcollege.com](http://www.mgbvpgcollege.com) & Email: [mgbvpgcfzd@yahoo.com](mailto:mgbvpgcfzd@yahoo.com)

[www.dbrau.ac.in](http://www.dbrau.ac.in) & [vc@dbrau.ac.in](mailto:vc@dbrau.ac.in), [registrar@dbrau.ac.in](mailto:registrar@dbrau.ac.in)

## परिचय-(Introduction)

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज, महात्मा गाँधी सेवा-संघ, फिरोजाबाद की प्रेरणा एवं शहर के गणमान्य नागरिकों के तन-मन-धन के सक्रिय सहयोग से पं. बालबिहारी लाल शर्मा के नेतृत्व में किए गए प्रयासों का साकार स्वरूप है।

वर्ष 1952 में महात्मा गाँधी बालिका माध्यमिक विद्यालय के रूप में तिलक भवन से उदित हो वर्ष 1966 में आगरा विश्वविद्यालय से कला-संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त कर महाविद्यालय के रूप में एस0 एन0 रोड पर पल्लवित हुआ। महाविद्यालय ने श्री बालकृष्ण गुप्त के अध्यक्षीय कार्यकाल में सचिव पं. बालबिहारी लाल द्वारा प्रबन्ध समिति के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1971 में स्नातक विज्ञान-संकाय की सम्बद्धता प्राप्त की। वर्ष 1983 में स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत एवं संगीत गायन की सम्बद्धता प्राप्त कर नगर की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 2001 में पं0 बालबिहारी लाल के अध्यक्षीय कार्यकाल में महाविद्यालय के युवा सचिव श्री सुनील अग्रवाल ने स्ववित्त पोषित अनुभाग की स्थापना कर डॉ0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती-आगरा विश्वविद्यालय, आगरा) से बी0एससी0 (गृहविज्ञान) की सम्बद्धता प्राप्त की। पुनः वर्ष 2003 में बी0कॉम0 और एम.एससी. (जन्तु विज्ञान) में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त कर जनपद की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा का वृहद क्षेत्र विकसित किया। वर्ष 2006 में प्रबन्ध समिति एवं तत्कालीन सचिव श्री डी0 एन0 शर्मा के सद् प्रयासों से स्ववित्त पोषित अनुभाग का सर्वांगीण विकास हुआ। एम0 ए0 (समाजशास्त्र) की सम्बद्धता स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सन् 2007-2008 से प्राप्त करने के बाद एम0एससी (रसायन विज्ञान) की सम्बद्धता सत्र 2009-2010 से प्राप्त की। स्नातक स्तर पर बी0ए0 में एक विषय के रूप में शिक्षाशास्त्र की सम्बद्धता सत्र 2010-2011 से प्राप्त की।

परास्तानक स्तर पर एम0 ए0 (हिंदी) व एम0 कॉम0 (A+B+C) गुप एवं स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (गणित, भौतिक विज्ञान व कम्प्यूटर साइंस) की सम्बद्धता स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सन् 2024-2025 में अस्थायी मान्यता प्राप्त की।

वर्ष 2016 में प्रबन्ध समिति के युवा सचिव श्री अनिल उपाध्याय एवं महाविद्यालय प्राचार्या के नेतृत्व में महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन कराया गया। जिसमें महाविद्यालय को B+ Grade प्राप्त हुआ।

## परिकल्पना -(Vision)

महाविद्यालय की परिकल्पना नगर में ऐसा सोहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना है, जिसमें बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाया जा सके।

## लक्ष्य -(Mission)

महाविद्यालय का लक्ष्य छात्राओं के मन में यह चेतना जागृत करना है कि स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में भी उनकी समान रूप से बराबर की भागीदारी है।

## उद्देश्य -(Objective)

जाति, वर्ग एवं धर्म-भेद-भाव के बिना स्वस्थ शिक्षा प्रदान कर बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना महाविद्यालय का उद्देश्य है। महाविद्यालय को बालिकाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नगर की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का श्रेय और गौरव प्राप्त है।

## भवन -(Building)

महाविद्यालय का अपना निजी भवन शहर के सुरक्षित वातावरण के मध्य एस0 एन0 रोड पर स्थित है। हवादार विशाल शिक्षण कक्ष, स्वर्गीय सेठ कुन्दनलाल-उमरावलाल की स्मृति में निर्मित भव्य हॉल एवं मनमोहक उद्यान से महाविद्यालय-परिसर सुशोभित है। संकाय/ विभागानुसार पृथक-पृथक कक्ष आवंटित है। विज्ञान संकाय में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध समिति के अथक प्रयासों से तीन मंजिला भवन निर्मित है। बी0एससी (गृहविज्ञान) के विभिन्न कक्षों एवं प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण कर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। बी0ए0 (गृहविज्ञान) व (मनोविज्ञान) हेतु उपकरणों से सुसज्जित लैब विद्यमान है।

## पुस्तकालय - (Library)

महाविद्यालय में विशाल पुस्तकालय है। जिसमें पुस्तकों के रख-रखाव तथा छात्राओं के बैठकर अध्ययन करने की समुचित व्यवस्था है। पुस्तकालय में प्रतिवर्ष पाठ्यक्रमानुसार नवीन पुस्तकें क्रय की जाती हैं, जिससे पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। नवीन अलमारियां आदि क्रय कर पुस्तकालय को आधुनिक रूप से सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित करने का विशेष प्रयास किया गया है। छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तथा सुविधाओं में विस्तार हेतु तीन मंजिला विशाल पुस्तकालय भवन निर्मित है।

वाचनालय में अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, प्रतियोगी पत्रिकाओं तथा अन्य विभागीय पत्रिकाओं की व्यवस्था है।

पुस्तकालय में कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट की व्यवस्था है। छात्राओं हेतु शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था हेतु आर.ओ. मशीन की व्यवस्था की गई है।

## बुक बैंक योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से संचालित बुक बैंक योजना से निर्धन एवं योग्य छात्रायें पूरे सत्र के लिए पुस्तकीय सहायता प्राप्त कर सकती है। बुक बैंक से पुस्तकें लेने वाली छात्राओं को पुस्तकों के मूल्य का 01 प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा।

## राष्ट्रीय सेवा योजना - (N.S.S.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा फरवरी-1974 से उपलब्ध है। युवा विद्यार्थियों में समाजिक चेतना और राष्ट्र के प्रति दायित्व-बोध जागृत करने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय-प्रांगण में स्वच्छता, ग्रामीण अंचलों में शिविरों का आयोजन, वृक्षारोपण, रोग-उन्मूलन, साक्षरता, स्वास्थ्य-शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा, बाल-शिक्षा, स्त्री एवं बाल कल्याण जागरूकता आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिससे छात्राओं में समाज सेवा की भावना का प्रादुर्भाव होता है। वर्तमान में महाविद्यालय में इसकी 02 इकाईयां कार्यरत हैं।

### खेलकूद एवं रेन्जर्स

महाविद्यालय द्वारा योग्य क्रीड़ाधिकारी व प्रशिक्षक की देख-रेख में विविध खेल-प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। छात्राओं को अन्तर्महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। महाविद्यालय में छात्राओं हेतु जिम (Gym) की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत रेन्जर्स प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। रेन्जर्स के लिए अपने "घोष" की भी व्यवस्था है। "लक्ष्मीबाई रेन्जर्स दल" में छात्राओं का पंजीकरण किया जाता है।

### सांस्कृतिक गतिविधियां

महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण उत्साह के साथ किया जाता है। निबन्ध लेखन, वाद-विवाद, भाषण, कविता, श्लोक-गायन, नृत्य, नाटिका, मेहन्दी, रंगोली, कलश-सज्जा, विज्ञान-प्रदर्शनी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर योग्य एवं मेधावी छात्राओं को प्रतिभा-प्रदर्शन का पूर्ण अवसर और प्रोत्साहन प्रदान कर पुरुस्कृत किया जाता है।

### छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता

सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति शासन के नियमानुसार देय होगी। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त मेधावी छात्राओं को महाविद्यालय अन्य सुविधा भी प्रदान करता है। शासन द्वारा प्रदत्त शुल्कप्रतिपूर्ति नियमानुसार होगी, किन्तु छात्राओं को प्रवेश लेते समय ही छात्रवृत्ति व शुल्कप्रतिपूर्ति का फार्म नियमानुसार शासन की समय-सारिणी के अनुसार त्रुटिरहित ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण फार्म जमा करने पर फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति व शुल्कप्रतिपूर्ति शासन द्वारा उपलब्ध बजट/मेरिट लिस्ट के अनुसार देय होगी। छात्रवृत्ति हेतु 75 प्रतिषत उपस्थिति अनिवार्य है। तत्कालीन शासनादेशों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति फार्म निरस्त किये जा सकते हैं।

### शोध सुविधा

महाविद्यालय में संगीत और हिन्दी, समाजशास्त्र व उर्दू विषय में शोध कार्य (पी-एच.डी.) करने की सुविधा उपलब्ध है। शोधार्थियों के पठन-पाठन इत्यादि की पृथक से व्यवस्था है। तथापि उक्त सुविधा शोध के नवीन नियमों के अन्तर्गत ही प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा तथा शोध छात्र/छात्रा आवंटित किये जायेंगे।

## महाविद्यालय के नियम एवं परिनियम

1. प्राचार्या/मुख्य अनुशासन अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य है।
2. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान में नियमित आना अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करते समय परिचय-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। मुख्य अनुशासन अधिकारी (प्रोक्टर) के मॉगने पर छात्रा को अपना परिचय पत्र दिखाना होगा।
4. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
5. किसी भी छात्रा के रैगिंग में लिप्त पाए जाने अथवा अभद्रव्यवहार करने पर सुसंगत नियमों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। दोषी छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय परिसर में अकारण चहल-कदमी प्रतिबन्धित है। छात्राएँ समूह में न रहें एवं परिसर में जाति सम्बन्धी विश्लेषण आदि पर चर्चा प्रतिबन्धित होगी।
7. माता-पिता तथा अभिभावक जिनकी फोटो पहचान पत्र पर चस्पा है, केवल उन्हीं को महाविद्यालय में छात्रा के सम्बन्ध में बात करने अथवा उससे मिलने की अनुमति होगी।
8. महाविद्यालय परिसर की सम्पत्ति एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाना दण्डनीय अपराध है।
9. सूचना पट/वेबसाइट पर समय-समय पर प्रदर्शित सूचनाओं का संज्ञान लेना छात्राओं का कर्तव्य है अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा।
10. छात्राओं के लिए कक्षाओं/ऑनलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 15 दिवस में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर नाम काटा जा सकता है।
11. उपर्युक्त नियमों/परिनियमों में आवश्यकतानुसार महाविद्यालय की प्रचलित पॉलिसियों के अन्तर्गत परिवर्तन/परिवर्द्धन संशोधन अनुमन्य होगा।

(शासकीय सहायता प्राप्त) स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण (क)

क्र.सं	विषय का नाम	स्नातक स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1.	हिन्दी	कुलाधिपति के पत्र सं० 7327 / दिनांक:07.08.1966 से सम्बद्धता (कला संकाय)
2.	अंग्रेजी	तदैव
3.	मनोविज्ञान	तदैव
4.	अर्थशास्त्र	तदैव
5.	राजनीति शास्त्र	तदैव
6.	समाजशास्त्र	तदैव
7.	संगीत (गायन)	तदैव
8.	गृह विज्ञान	जुलाई – 1973 से सम्बद्धता
9.	चित्रकला	तदैव
10.	उर्दू	जुलाई – 1979 से सम्बद्धता
11.	संस्कृत	जुलाई – 1980 से सम्बद्धता
12.	जन्तु विज्ञान	एफिल/104 दि० 12.07.74 राजाज्ञा के पत्र संख्या 2984 (1) जी०एस० दिनांक 20.06.74 से विज्ञान संकाय (Bio Group) में सम्बद्धता
13.	वनस्पति विज्ञान	तदैव
14.	रसायन विज्ञान	तदैव

(शासकीय सहायता प्राप्त) स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण (ख)

क्र.सं	विषय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1.	एम. ए. (संस्कृत)	एफिल/1824 दि. 27.10.83 (राजाज्ञा के पत्र संख्या 5783/जी. एस. दिनांक 13.10.83 से एम.ए. (संस्कृत) की सम्बद्धता
2.	एम. ए.	एफिल/1824 दि. 27.10.83 (राजाज्ञा के पत्र संख्या 5783/जी. एस. दिनांक (संगीत-गायन) 13.10.83) से एम.ए. (संगीत- गायन) की सम्बद्धता

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण स्नातक-स्नातकोत्तर

क्र.सं विषय का नाम / स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्बद्धता

1. बी.एस-सी. (गृहविज्ञान संकाय)(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई/559/65/02/07/01 से सम्बद्धता प्राप्त
2. बी. कॉम (वाणिज्य संकाय) (स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई/2655/जी.एस. दि0 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता प्राप्त
3. बी.ए. (शिक्षाशास्त्र) एक विषय (स्ववित्त पोषित) सम्बद्धन-471 सत्तर-2-2009-2(577)/2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता प्राप्त
4. एम. ए. (समाजशास्त्र)(स्ववित्त पोषित) संख्या - 5166 सत्तर-2-2007-2(135) 2004 दिनांक 17.03.2008 के द्वारा दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता प्राप्त
5. एम.एससी. (जन्तु विज्ञान) (स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई/2655/जी.एस. दि0 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता प्राप्त
6. एम.एससी. (रसायन विज्ञान) (स्ववित्त पोषित) पत्रांक सं0-3239/सत्तर-2-2009-2(135)/ 2004 (रसायन विज्ञान) दिनांक 17.11.2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता प्राप्त
7. बी0एससी0 (गणित, भौतिक विज्ञान व कम्प्यूटर साइंस) (स्ववित्त पोषित) सन् 2024-25 में सम्बद्धता हेतु अस्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।
8. एम. ए. (हिंदी) (स्ववित्त पोषित) सन् 2024-25 में सम्बद्धता हेतु अस्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।
9. एम.कॉम (A+B+C) ग्रुप (स्ववित्त पोषित) सन् 2024-25 में सम्बद्धता हेतु अस्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

## अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम

डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से शासकीय सहायता प्राप्त स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विषय—

### (क) कला संकाय -

- (1) स्नातकोत्तर (एम.ए.) – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम— संस्कृत, संगीत—गायन
- (2) स्नातक (बी.ए.) – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम – हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संगीत गायन चित्रकला, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, शिक्षा शास्त्र एक विषय—स्ववित्त पोषित

### (ख) विज्ञान संकाय -

- (1) स्नातक (बी.एससी.) – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम – वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान

## स्ववित्त - पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम

- (क) विज्ञान संकाय -
- 1— स्नातकोत्तर – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम  
एम.एससी. – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम
  - 2— स्नातक – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम  
बी.एससी. (गृहविज्ञान)
  - 3— स्नातक – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम  
बी.एससी. (गणित, भौतिक विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइंस)
- (ख) कला संकाय -
- 1— स्नातकोत्तर – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम  
एम. ए. (समाजशास्त्र)  
एम. ए. (हिंदी साहित्य)
- (ग) वाणिज्य संकाय -
- 1— स्नातक – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम  
बी.कॉम.
  - 2— स्नातकोत्तर – सेमिस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम  
एम. कॉम (ए. बी. एवं सी. गुप) में।

## विषय - चयन हेतु नियम

### कला संकाय – स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमिस्टर के लिए

1. मेजर विषय का चयन – छात्रा को निम्न तीन संकाय क,ख,ग में से किन्ही दो संकाय से 02 मुख्य विषयों का चयन होगा।

#### (क) भाषा संकाय

1. हिन्दी 2. संस्कृत 3. अंग्रेजी 4. उर्दू

#### (ख) कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय –

1. अर्थशास्त्र 2. शिक्षाशास्त्र 3. समाजशास्त्र 4. गृहविज्ञान  
5. मनोविज्ञान 6. राजनीति विज्ञान 7. शारीरिक शिक्षा,

#### (ग) ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय–

1. चित्रकला 2. संगीत गायन

2. माइनर/इलेक्टिव पेपर का चयन – छात्राओं को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्रा को अलग से अर्थात् मेजर विषय के अतिरिक्त महाविद्यालय में संचालित किसी दूसरे संकाय से करना होगा।

माइनर विषय/प्रश्नपत्र हेतु निम्न ग्रुप में से एक प्रश्न पत्र चुनना होगा

#### (A) भाषा संकाय

1. हिन्दी 2. संस्कृत 3. अंग्रेजी, 4. उर्दू

#### (B) कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय –

1. अर्थशास्त्र 2. समाजशास्त्र 3. मनोविज्ञान 4. राजनीति विज्ञान 5. शारीरिक शिक्षा, 6. गृहविज्ञान

#### (C) ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय–

1. चित्रकला 2. संगीत गायन

#### (D) वाणिज्य संकाय

1. Business Organization 2. Business Communication (प्रथम सेमेस्टर हेतु)

1. Business Management 2. Business Economics (द्वितीय सेमेस्टर हेतु)

जिस सेमेस्टर का माइनर प्रश्नपत्र /विषय चुनेंगे, उसी सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा।

### 3. रोजगारपरक/कौशल विकास के पाठ्यक्रम के लिए चयन (Vocational Subject) –

इसके अर्न्तगत छात्राओं को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन क्रेडिट का कौशल विकास या रोजगारपरक एक पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित निम्न पाठ्यक्रमों में से चुनना होगा।

1. Domestic Data Entry Operator
2. Yoga Instructor
3. Self Made Tailor

### 4. अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह पाठ्यक्रमों का अध्ययन छात्राओं को निम्न क्रमानुसार करना होगा-

1. प्रथम सेमेस्टर (I<sup>st</sup> Sem) – भोजन, पोषण और स्वच्छता
2. द्वितीय सेमेस्टर (II<sup>nd</sup> Sem) – प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
3. तृतीय सेमेस्टर (III<sup>rd</sup> Sem) – शारीरिक शिक्षा एवं योग
4. चतुर्थ सेमेस्टर (IV<sup>th</sup> Sem) – मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
5. पंचम सेमेस्टर (V<sup>th</sup> Sem) – विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस
6. षष्ठ सेमेस्टर (VI<sup>th</sup> Sem) – संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास

विषय चयन करते समय प्रतिबन्ध होगा कि-

1. छात्राएं विषयों का चयन सावधानीपूर्वक करें। प्रवेश समिति द्वारा स्वीकृत विषय परिवर्तित नहीं किए जायेंगे।
2. प्रत्येक विषय/सेक्शन में 60 की संख्या पूर्ण होने तक ही प्रवेश दिये जायेंगे।
3. माइजर पेपर का आंवटन महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जायेगा।
4. स्नातक तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में छात्राएं पूर्व में चयनित मुख्य विषय ही ले सकती हैं।
5. स्नातक पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर में छात्राएं बी0ए0 तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में चयनित विषयों में से 02 मेजर विषयों, अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-Curricular) का अध्ययन करेंगी।

विज्ञान संकाय – स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए

### 1. मुख्य/मेजर विषय

1. रसायन विज्ञान
2. वनस्पति विज्ञान
3. जन्तु विज्ञान

2. माइनर/इलेक्टिव पेपर का चयन – छात्राओं को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्रा को अलग से अर्थात् मेजर विषय के अतिरिक्त महाविद्यालय में संचालित किसी दूसरे संकाय से करना होगा।

माइनर विषय/प्रश्नपत्र हेतु निम्न ग्रुप में से एक प्रश्न पत्र चुनना होगा

(A) भाषा संकाय

1. हिन्दी 2. संस्कृत 3. अंग्रेजी, 4. उर्दू

(B) कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय –

1. अर्थशास्त्र 2. समाजशास्त्र 3. मनोविज्ञान 4. राजनीति विज्ञान 5. शारीरिक शिक्षा, गृहविज्ञान

(C) ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय–

1. चित्रकला 2. संगीत गायन

(D) वाणिज्य संकाय

1. Business Organization 2. Business Communication (प्रथम सेमेस्टर हेतु)

1. Business Management 2. Business Economics (द्वितीय सेमेस्टर हेतु)

जिस सेमेस्टर का माइनर प्रश्नपत्र /विषय चुनेंगे, उसी सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा।

3. रोजगारपरक/कौशल विकास के पाठ्यक्रम के लिए चयन (Vocational Subject) –

इसके अन्तर्गत छात्राओं को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन क्रेडिट का कौशल विकास या रोजगारपरक एक पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित निम्न पाठ्यक्रमों में से चुनना होगा।

1. Domestic Data Entry Operator

2. Yoga Instructor

3. Self Made Tailor

4. अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह पाठ्यक्रमों का अध्ययन छात्राओं को निम्न क्रमानुसार करना होगा–

1. प्रथम सेमेस्टर (I<sup>st</sup> Sem) – भोजन, पोषण और स्वच्छता

2. द्वितीय सेमेस्टर (II<sup>nd</sup> Sem) – प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य

3. तृतीय सेमेस्टर (III<sup>rd</sup> Sem) – शारीरिक शिक्षा एवं योग
4. चतुर्थ सेमेस्टर (IV<sup>th</sup> Sem) – मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
5. पंचम सेमेस्टर (V<sup>th</sup> Sem) – विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस
6. षष्ठ सेमेस्टर (VI<sup>th</sup> Sem) – संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास

5.स्नातक III<sup>rd</sup> एवं IV<sup>th</sup> सेमिस्टर में छात्राएं पूर्व में चयनित मेजर विषय लेंगी।

6.स्नातक V<sup>th</sup> एवं VI<sup>th</sup> सेमेस्टर छात्राएं स्नातक III<sup>rd</sup> एवं IV<sup>th</sup> सेमिस्टर के विषयों में से दो मेजर विषयों एवं अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (**Co-Curricular**) का अध्ययन करेंगी।

वाणिज्य संकाय – स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए

1. मेजर/मुख्य विषय निम्नवत रहेंगे

(क.) प्रथम सेमेस्टर हेतु –

1. Business Organization
2. Business Statistics
3. Business Communication

(ख.) द्वितीय सेमेस्टर हेतु

1. Business Management
2. Financial Accounting
3. Business Economics

माइनर/इलेक्टिव पेपर – छात्राओं को एक इलेक्टिव पेपर का चुनाव महाविद्यालय में संचालित निम्न संकायों/ग्रुप में से करना होगा।

(A) भाषा संकाय–

1. संस्कृत
2. हिन्दी
3. अंग्रेजी,

(B) कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय –

1. राजनीति विज्ञान
2. अर्थशास्त्र
3. समाजशास्त्र
4. शारीरिक शिक्षा,
5. मनोविज्ञान

(C) ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय–

1. संगीत गायन
2. चित्रकला

3. रोजगारपरक/कौशल विकास के पाठ्यक्रम के लिए चयन (**Vocational Subject**) –

इसके अर्न्तगत छात्राओं को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन क्रेडिट का कौशल विकास या रोजगारपरक एक पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित निम्न पाठ्यक्रमों में से चुनना होगा।

1. Domestic Data Entry Operator
2. Yoga Instructor
3. Self Made Tailor

#### 4. अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह पाठ्यक्रमों का अध्ययन छात्राओं को निम्न क्रमानुसार करना होगा—

1. प्रथम सेमेस्टर (I<sup>st</sup> Sem) – भोजन, पोषण और स्वच्छता
  2. द्वितीय सेमेस्टर (II<sup>nd</sup> Sem) – प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
  3. तृतीय सेमेस्टर (III<sup>rd</sup> Sem) – शारीरिक शिक्षा एवं योग
  4. चतुर्थ सेमेस्टर (IV<sup>th</sup> Sem) – मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
  5. पंचम् सेमेस्टर (V<sup>th</sup> Sem) – विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस
  6. षष्ठ सेमेस्टर (VI<sup>th</sup> Sem) – संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास
5. स्नातक III<sup>rd</sup> एवं IV<sup>th</sup> सेमिस्टर में छात्राएं पूर्व में चयनित मेजर विषय लेंगी।

6. स्नातक V<sup>th</sup> एवं VI<sup>th</sup> सेमेस्टर छात्राएं स्नातक III<sup>rd</sup> एवं IV<sup>th</sup> सेमिस्टर के विषयों में से दो मेजर विषयों एवं अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-Curricular) का अध्ययन करेंगी।

नोट: महाविद्यालय द्वारा प्रदर्शित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश सम्बन्धित नियम एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम व प्रवेश नियमों में विरोधाभास होने पर डॉ० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा मान्य पाठ्यक्रम एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रभावी होगा।

## आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश -

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा-

### स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमिस्टर में आवेदन हेतु -

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
3. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की सत्यापित छायाप्रति।
4. आय प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (छात्रवृत्ति एवं आरक्षित श्रेणी हेतु)
5. जाति-प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (यदि आरक्षण चाहते हों, तो)
6. ई.डब्ल्यू.एस. से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (यदि आरक्षण चाहते हों, तो)
7. विकलांग/भूतपूर्व सैनिक अथवा शिक्षक आश्रित के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
8. संस्था (जिसमें अन्तिम शिक्षा पाई हो) के प्राचार्य/प्राचार्या से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
9. उ.प्र. से बाहर से आने वाली छात्राएँ प्रवजन-प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
10. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
11. प्रवेश फार्म के साथ संलग्न घोषणा पत्र मूल रूप में।
12. समर्थ वेब रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। समर्थ वेब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद छात्रा महाविद्यालय में रिपोर्ट करेगी।

### नोट:-

- क. स्नातक तृतीय, पंचम सेमिस्टर और परास्नातक (एम.ए. एम.एससी.) तृतीय सेमिस्टर की छात्राएँ केवल अर्ह परीक्षा (पूर्व वर्षों) के उत्तीर्ण अंकतालिका की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। प्रवेश के साक्षात्कार के समय मूल अंकतालिका लाना अनिवार्य है। एम.एस. सी प्रथम सेमिस्टर में महाविद्यालय द्वारा मैरिट से सीधे प्रवेश दिया जायेगा। पर्याप्त मात्रा में आवेदन मिलने पर ही एम.एस.सी (रसायन विज्ञान) में प्रवेश स्वीकृत होगा। प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी मूल शैक्षिक अभिलेख-अंकतालिकाओं, स्थानान्तरण, आय, जाति और चरित्र प्रमाण पत्र आदि साथ लाना अनिवार्य है।
- ख. छात्रा को आवेदन फार्म पर प्रथम वर्ष की प्रवेश संख्या और विश्वविद्यालय से प्राप्त नामांकन संख्या लिखना अनिवार्य है।

**- महाविद्यालय की छात्राओं का परिधान -**

1. सफेद कुर्ता-सलवार
2. विवाहित छात्राएं सादा मेहरुन साड़ी-ब्लाउज (सभी संकायो हेतु)
3. शीतकालीन - मेहरुन स्वेटर अथवा शॉल (डिजायन रहित) सादा

**- संकायवार दुपट्टे का वर्गीकरण-**

<b>स्नातक</b>	-	<b>कला संकाय (B.A.)</b>	-	मेहरुन
		<b>विज्ञान संकाय (B.Sc.)</b>	-	गहरा हरा (काई)
		<b>वाणिज्य संकाय (B.Com.)</b>	-	हल्का बैंगनी
		<b>गृहविज्ञान संकाय (B.HSc.)</b>	-	हल्का नीला (आसमानी)
<b>परास्नातक</b>	-	<b>कला संकाय (M.A.)</b>	-	हल्का सिलेटी (ग्रे) (संगीत, संस्कृत, समाजशास्त्र, हिंदी)
		<b>विज्ञान संकाय (M.Sc.)</b>	-	गहरा नीला (नेवी ब्लू) (जन्तु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)
		<b>वाणिज्य संकाय (M.Com.)</b>	-	नारंगी (A+B+C Group)

**- शुल्क सम्बन्धी नियम -**

1. स्नातक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ सेमिस्टर का सम्पूर्ण शुल्क एक बार प्रवेश के समय ही लिया जायेगा।
2. स्नातक पंचम एवं षष्ठ सेमिस्टर का सम्पूर्ण शुल्क एक बार प्रवेश के समय ही लिया जायेगा जिसमें 200 रुपये उपाधि शुल्क भी शामिल है।
3. शासन द्वारा सत्र के मध्य में बढ़ाया शुल्क भी देय होगा।
4. विश्वविद्यालय परीक्षा तथा नामांकन फार्म तभी अग्रसारित किए जायेंगे, जबकि छात्रा उस सत्र का सम्पूर्ण शुल्क जमा कर देगी।
5. विश्वविद्यालय परीक्षा का प्रवेश पत्र सम्पूर्ण देय धनराशि का भुगतान एवं महाविद्यालय की समस्त सामग्री जो छात्रा के नाम अंकित हो, वापस किए जाने के पश्चात् ही दिया जा सकेगा।
6. महाविद्यालय के खाते में प्रवेश अंकित हो जाने के बाद आवेदन के साथ जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
7. स्नातक सेमिस्टर प्रणाली में प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रति सेमिस्टर परीक्षा शुल्क देय होगा।
8. स्नातक सेमिस्टर में वोकेशनल पाठ्यक्रम का शुल्क 250/- प्रति सेमिस्टर देय होगा।

## शुल्क - तालिका (2025-2026)

प्रवेश के समय पूरे वर्ष का शुल्क एवं अन्य वार्षिक शुल्क निम्नवत् है-

शुल्क का नाम	बी.ए प्रयोगात्मक रहित शुल्क	बी.ए.प्रयोगात्मक सहित शुल्क	बी.एससी.	एम.ए. संगीत (गायन)	एम.ए. संस्कृत
शिक्षण शुल्क	—	—	—	—	—
पंजीकरण शुल्क	25	25	25	25	25
प्रवेश शुल्क	3	3	3	3	3
पंखा शुल्क	62	62	62	62	62
शीतोष्ण शुल्क	124	124	124	124	124
मंहगाई शुल्क	42	42	42	42	42
पुस्तकालय शुल्क	30	30	30	38	38
विकास शुल्क	30	30	30	30	30
पत्रिका शुल्क	15	15	15	15	15
निर्धन छात्रा-कोष शुल्क	12	12	12	12	12
विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	800रु. प्रति सेमि०	800रु. प्रति सेमि०	800रु. प्रति सेमि०	2200	2000
परिचय पत्र शुल्क	8	8	8	8	8
भवन रख-रखाव शुल्क	30	30	30	30	30
क्रीड़ा शुल्क	250	250	250	250	250
लैब आकस्मिक शुल्क	25	25	35	25	25
दीक्षान्त समारोह शुल्क	10	10	10	10	10
छात्र-कल्याण शुल्क	12	12	12	12	12
पुस्तकालय आकस्मिक शुल्क	30	30	30	30	30
सांस्कृतिक शुल्क	80	80	80	80	80
छात्र संघ शुल्क	10	10	10	10	10
कॉशन मनी	25	25	25	25	25
प्रयोगात्मक शुल्क	240 प्रति प्रयोगात्मक विषय		720	240	—
चिकित्सा शुल्क	12	12	12	12	12
मौखिक परीक्षा शुल्क	—	—	—	—	200
उपाधि (डिग्री) शुल्क	—	—	—	—	300
नामांकन शुल्क किसी भी कक्षा हेतु - 300 रु. देय होगा। स्नातक प्रथम सेमिस्टर में नामांकन शुल्क अनिवार्य है। रेन्जर्स शुल्क - 50/- रुपये प्रति छात्रा होगा।					

**नोट-** शैक्षिक सत्र के मध्य में शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क बढ़ाया जाता है तो छात्रा को बढ़ा हुआ शुल्क देय होगा।

## स्ववित्त पोषित कक्षाओं हेतु वार्षिक शुल्क - (2025-2026)

1.	बी.एससी. (गृहविज्ञान)		
	I & II सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर का शुल्क वर्ष मे एक बार)	—	11,580-00
	III & IV सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर का शुल्क वर्ष मे एक बार)	—	11,280-00
	V & VI सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर का शुल्क वर्ष मे एक बार)	—	10,780-00
2.	बी.कॉम.		
	I & II सैमिस्टर	—	8,880-00
	III & IV सैमिस्टर	—	8,280-00
	V & VI सैमिस्टर	—	7,780-00
3.	बी.एससी. (गणित, भौतिक वि० एवं कम्प्यूटर विज्ञान)		
	I & II सैमिस्टर	—	8,880-00
	III & IV सैमिस्टर	—	8,280-00
	V & VI सैमिस्टर	—	7,780-00
4.	एम.एससी. (जन्तु विज्ञान)		
	I & II सैमिस्टर	—	16,930-00
	III & IV सैमिस्टर	—	16,630-00
5.	एम.एससी. (रसायन विज्ञान)		
	I & II सैमिस्टर	—	16,930-00
	III & IV सैमिस्टर	—	16,630-00
6.	एम.ए. (समाजशास्त्र)		
	I & II सैमिस्टर	—	9,430-00
	III & IV सैमिस्टर	—	9,130-00
7.	एम.ए. (हिंदी)		
	I & II सैमिस्टर	—	9,430-00
	III & IV सैमिस्टर	—	9,130-00
8.	एम.कॉम. (A+B+C Group)		
	I & II सैमिस्टर	—	9,430-00
	III & IV सैमिस्टर	—	9,130-00
9.	बी०ए० शिक्षाशास्त्र—एक विषय		
	I & II सैमिस्टर एवं III & IV सैमिस्टर	—	740-00
	III & IV सैमिस्टर	—	740-00

1. स्नातक कक्षाओं को छोड़कर स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन कराने हेतु शुल्क 300/— पृथक से देय होगा।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर में उपाधि (डिग्री) के लिए 300/—
3. प्रति छात्रा 250 रु. जैनरेटर शुल्क/विद्युत शुल्क
4. स्नातक सेमिस्टर में वोकेशनल पाठ्यक्रम का शुल्क 250/— प्रति सेमिस्टर
5. बी0कॉम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमिस्टर में 200/— प्रयोगात्मक शुल्क देय होगा।
6. रेन्जर्स शुल्क – 50/— रुपये प्रति छात्रा

**नोट-** शैक्षिक सत्र के मध्य में शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क बढ़ाया जाता है तो छात्रा को बढ़ा हुआ शुल्क देय होगा।  
स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क को छोड़कर उक्त समस्त शुल्क जुड़े हुए हैं।  
स्ववित्त पोषित अनुभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक: 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक पुत्री (अर्थात दो सगी बहिनें) प्रवेश या अध्ययन करती हैं तो दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

2025-2026

विभिन्न समितियाँ

आन्तरिक गुणवत्ता - आश्वासन प्रकोष्ठ (I.Q.A.C.)

1.	प्रो० प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	अध्यक्षा
2.	प्रो० पूनम	—	संयोजिका
3.	कृ० रीता दीक्षित	—	वरिष्ठ सदस्या
4.	डॉ. फरहा तबस्सुम	—	सदस्या
5.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	—	सदस्या
6.	श्री सतीश चन्द्र गुप्ता	—	सदस्य
7.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्य
8.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	सदस्य

अनुशासन - समिति (Discipline Committee)

1.	कृ. रीता दीक्षित	—	मुख्य अनुशासन अधिकारी
2.	प्रो० प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	सदस्य
3.	प्रो० पूनम	—	सदस्य
4.	डॉ. फरहा तबस्सुम	—	सदस्य
5.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	—	सदस्य
6.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्य
7.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	सदस्य
8.	डॉ. निशा	—	सदस्य
9.	डॉ. प्रिया सिंह	—	सदस्य
10.	डॉ. रफत खान	—	सदस्य
11.	डॉ. छाया कुमारी	—	सदस्य
12.	छात्रा नामित	—	सदस्य

**प्रवेश - समिति (Admission Committee)**

**स्नातक कक्षाएँ (कला-संकाय)**

1.	प्रो० प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	अध्यक्षा
2.	डॉ. ऋचा सिंह	—	संयोजिका
3.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्या
4.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	—	सदस्या
5.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	सदस्या
6.	डॉ. जेबा फारुकी	—	सदस्या
7.	डॉ. अंकिता ठाकुर	—	सदस्या
8.	डॉ. अमृता सिंह	—	सदस्या
9.	डॉ. निशा	—	सदस्या
10.	डॉ. शवनम	—	सदस्या
11.	डॉ. अनिता चौरसिया	—	सदस्या
12.	आकांक्षा यादव द्वितीय	—	सदस्या
13.	श्रीमती ममता गुप्ता	—	सदस्या
14.	श्रीमती फूलमाला राजन	—	सदस्या
15.	श्रीमती शैलजा पाठक	—	सदस्या

**परास्नातक कक्षाएँ (कला संकाय)**

1.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	—	संयोजिका
2.	प्रो. अंजु शर्मा	—	सदस्या

**स्नातक/परास्नातक कक्षाएँ (विज्ञान संकाय)**

**(बी.एससी/एम.एससी)**

1.	कृ. रीता दीक्षित	—	प्रभारी
2.	डॉ० रफत खान	—	सदस्या

## छात्रवृत्ति-समिति (Scholarship Committee)

सामान्य वर्ग	1.	प्राचार्या	—	अध्यक्षा
	2.	कृ० रीता दीक्षित	—	वरिष्ठ सदस्या
	3.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्या
	4.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	—	संयोजिका
	5.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	सदस्या
अन्य पिछड़ा वर्ग	1.	प्राचार्या	—	अध्यक्षा
	2.	कृ० रीता दीक्षित	—	वरिष्ठ सदस्या
	3.	कीर्ति	—	सदस्या
	4.	डॉ. अनिता चौरसिया	—	सदस्या
	5.	श्रीमती शवनम	—	संयोजिका
अल्पसंख्यक वर्ग	1.	प्राचार्या	—	अध्यक्षा
	2.	कृ० रीता दीक्षित	—	वरिष्ठ सदस्या
	3.	डॉ० अनिता चौरसिया	—	सदस्या
	4.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	—	सदस्या
	5.	डॉ. फरहा तबस्सुम	—	संयोजिका
अनुसूचित जाति / जनजाति	1.	प्राचार्या	—	अध्यक्षा
	2.	कृ० रीता दीक्षित	—	वरिष्ठ सदस्या
	3.	डॉ० दीपा कनौजिया	—	सदस्या
	4.	श्रीमती कीर्ति वर्मा	—	सदस्या
	5.	डॉ. जेबा फारुकी	—	सदस्या
	6.	चर्चा	—	संयोजिका

## राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S. Committee)

1.	डॉ. प्रिया सिंह	—	योजनाधिकारी (प्रथम इकाई)
2.	डॉ. निशा	—	योजनाधिकारी (द्वितीय इकाई)

### क्रीडा समिति (Games Committee)

1.	डॉ. अमृता सिंह	—	प्रभारी
2.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	—	सदस्या
3.	डॉ० अनिता चौरसिया	—	सदस्या
4.	डॉ. जेबा फारुकी	—	सदस्या
5.	डॉ. अंकिता ठाकुर	—	सदस्या
6.	श्रीमती माया मधुर	—	सदस्या
7.	छात्रा प्रतिनिधि	—	नामित

### रेन्जर्स समिति (Rangers Committee)

1.	डॉ. अंकिता ठाकुर	—	प्रभारी
2.	डॉ. ज्योति अग्रहरि	—	सदस्या
3.	श्रीमती शवनम	—	सदस्या
4.	डॉ. चर्चा	—	सदस्या
5.	कु० आकांक्षा यादव (I)	—	सदस्या
6.	छात्रा प्रतिनिधि	—	नामित

### चिकित्सा प्रकोष्ठ (Medical Cell)

1.	डॉ. रफत खान	—	प्रभारी
2.	डॉ. जेबा फारुकी	—	सह प्रभारी
3.	डॉ. प्रिया सिंह	—	सदस्या
4.	श्रीमती पारुल बरनवाल	—	सदस्या
5.	डॉ० निशा	—	सदस्या
6.	छात्रा प्रतिनिधि	—	नामित

### छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Committee) /निर्धन छात्र

1.	प्रो० प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	अध्यक्षा
2.	डॉ० निष्ठा शर्मा	—	सदस्या
3.	डॉ. अनिता चौरसिया	—	सदस्या
4.	डा. ऋचा सिंह	—	संयोजिका
5.	छात्रा प्रतिनिधि	—	नामित

### सांस्कृतिक समिति (Cultural Committee)

1.	डॉ० निष्ठा शर्मा	—	प्रभारी
2.	प्रो० अंजु शर्मा	—	वरिष्ठ सदस्या
3.	डॉ० प्रिया सिंह	—	सदस्या
4.	डॉ० जेबा फारुकी	—	सदस्या
5.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	सदस्या
6.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	—	सदस्या
7.	डॉ. रफत खान	—	सदस्या
8.	डॉ. निशा	—	सदस्या
9.	छात्रा प्रतिनिधि	—	नामित

### शोध - समिति (Research Committee)

1.	प्रो० प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	अध्यक्षा
2.	डॉ० निष्ठा शर्मा	—	संयोजिका
3.	प्रो० पूनम	—	सदस्या
4.	डॉ० फरहा तबस्सुम	—	सदस्या
5.	डॉ० राज्यश्री मिश्रा	—	सदस्या
6.	डॉ० संध्या द्विवेदी	—	सदस्या

### पत्रिका-समिति (Megzine Committee)

1.	प्रो० प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	संरक्षिका
2.	डॉ० अनिता चौरसिया	—	मुख्य सम्पादिका
3.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	—	सदस्या
4.	डॉ. दीपा कनौजिया	—	सदस्या
5.	डॉ. जेबा फारुकी	—	सदस्या
6.	डॉ० निशा	—	सदस्या
7.	प्रीती सिंह पटेल	—	सदस्या
8.	छात्रा प्रतिनिधि	—	नामित

### पुस्तकालय-समिति (Library Committee)

1.	डॉ० जेबा फारुकी	—	प्रभारी
2.	कु० रीता दीक्षित	—	वरिष्ठ सदस्या
3.	प्रो० फरहा तबस्सुम	—	सदस्या
4.	डॉ० राज्यश्री मिश्रा	—	सदस्या
5.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्या
6.	श्रीमती कीर्ति वर्मा	—	सदस्या
7.	कु. प्रीति सिंह पटेल	—	सदस्या

### शिकायत निवारण-प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell)

1.	प्रो. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	अध्यक्षा
2.	प्रो० फरहा तबस्सुम	—	सचिव
3.	कु. रीता दीक्षित	—	वरिष्ठ सदस्या
4.	प्रो० पूनम	—	सदस्या
5.	डॉ० राज्यश्री मिश्रा	—	सदस्या

### एण्टी रैगिंग-प्रकोष्ठ (Anti Raging Cell)

1.	श्रीमती कीर्ति वर्मा	—	प्रभारी
2.	डॉ. जेबा फारुकी	—	सदस्या
3.	डॉ. अनिता चौरसिया	—	सदस्या
4.	डॉ. छाया कुमारी	—	सदस्या
5.	छात्रा प्रतिनिधि	—	नामित

### सैक्सुअल हरेसमेण्ट निवारण-प्रकोष्ठ (Sexual Harassment Prevention Cell)

1.	प्रो. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	अध्यक्षा
2.	.....	—	सचिव/सदस्या
3.	कु० रीता दीक्षित	—	सदस्या
4.	प्रो. पूनम	—	सदस्या
5.	डॉ. फरहा तबस्सुम	—	सदस्य
6.	रिक्त स्थान	—	सदस्य

## दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ

### (Cell for differently abled Students and SEDGs)

1.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	—	संयोजिका
2.	डॉ. अनिता चौरसिया	—	सदस्या
3.	कु. कीर्ति	—	सदस्या
4.	डॉ. चर्चा	—	सदस्या
5.	श्रीमती पारुल बरनवाल	—	सदस्या
6.	कु. प्रीति सिंह पटेल	—	सदस्या

## मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ

### (Mentoring and Counseling Cell)

1.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	संयोजक
2.	श्रीमती पूजा जादौन	—	सदस्या
3.	डॉ. निशा	—	सदस्या
4.	डॉ. ऋचा सिंह	—	सदस्या
5.	डॉ. अंकिता ठाकुर	—	सदस्या
6.	आकांक्षा यादव द्वितीय	—	सदस्या

## प्लेसमेन्ट प्रकोष्ठ

### (Placement Cell)

1.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	संयोजिका
2.	डॉ. निशा	—	सदस्या
3.	डॉ. अनिता चौरसिया	—	सदस्या
4.	डॉ. प्रिया सिंह	—	सदस्या

## परीक्षा समिति

### (Examination Committee)

1.	प्रो. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	अध्यक्षा
2.	कृ० रीता दीक्षित	—	संयोजिका
3.	प्रो. पूनम	—	सदस्या

4.	प्रो. फरहा तबस्सुम	—	सदस्या
5.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	—	सदस्या

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 क्रियान्वयन समिति प्रकोष्ठ

#### (National Educational Policy-2020 Implementation Committee Cell)

1.	प्रो. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	अध्यक्षा
2.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	—	संयोजिका
3.	कृ० रीता दीक्षित	—	सदस्या
4.	प्रो. पूनम	—	सदस्या
5.	प्रो. फरहा तबस्सुम	—	सदस्या
6.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्या
7.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	सदस्या

### संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ

#### (Implementation Development Plan Cell)

1.	प्रो. फरहा तबस्सुम	—	सदस्या
2.	प्रो. पूनम	—	सदस्या
3.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	—	सदस्या
4.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	सदस्या
5.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्या
6.	डॉ. रफत खान	—	संयोजिका

### ऑनलाइन शिक्षा एवं एल.एम.एस. प्रकोष्ठ

#### (Online Education and LMS Cell)

1.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	संयोजक
2.	डॉ० अनिता चौरसिया	—	सदस्या
3.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	—	सदस्या
4.	डॉ. प्रिया सिंह	—	सदस्या

### शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (Teacher Reskilling Cell)

1.	डॉ. ज्योति अग्रहरि	—	संयोजिका
2.	श्रीमती कीर्ति वर्मा	—	सदस्या
3.	डॉ. ऋचा सिंह	—	सदस्या
4.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्या
5.	डॉ. अंकिता ठाकुर	—	सदस्या

### गतिविधि क्लब प्रकोष्ठ (Activity Cell)

1.	श्रीमती शवनम	—	संयोजिका
2.	डॉ० ज्योति अग्रहरि	—	सदस्या
3.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्या
4.	डॉ. संध्या द्विवेदी	—	सदस्या
5.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	—	सदस्या
6.	कु० पारुल बरनवाल	—	सदस्या
7.	कु० कीर्ति	—	सदस्या

### भारतीय भाषा संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ

#### (Indian Language and Cultural Arts Cell)

1.	डॉ अनिता चौरसिया	—	संयोजिका
2.	डॉ० दीपा कन्नौजिया	—	सदस्या
3.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	सदस्या
4.	कु. प्रीति सिंह पटेल	—	सदस्या
5.	श्रीमती प्रज्ञा कैसरवानी	—	सदस्या

### उद्योग-अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ

#### (Industry-Academic Integration and Skill Development Cell)

1.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	—	संयोजिका
2.	डॉ. चर्चा	—	सदस्या
3.	डॉ. अनिता चौरसिया	—	सदस्या
4.	श्रीमती कीर्ति वर्मा	—	सदस्या
5.	प्रीती सिंह पटेल	—	सदस्या

6.	कीर्ति	—	सदस्या
7.	श्रीमती ममता गुप्ता	—	सदस्या

### अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ

#### (Research Development Cell)

1.	डॉ. निष्ठा शर्मा	—	संयोजिका
2.	प्रो० प्रियदर्शिनी उपाध्याय	—	सदस्या
3.	प्रो० पूनम	—	सदस्या
4.	डॉ० फरहा तबरसुम	—	सदस्या
5.	डॉ० संध्या द्विवेदी	—	सदस्या

### संस्थागत नवाचार प्रकोष्ठ

#### (Institutional Innovation Cell)

1.	डॉ० संध्या द्विवेदी	—	संयोजिका
2.	डॉ० निशा	—	सह-संयोजिका
3.	कु० आकांक्षा यादव (I)	—	सदस्या
4.	डॉ. प्रिया सिंह	—	सदस्या

### भूतपूर्व छात्रा परिषद् (ALLUMNI- Cell)

1.	प्रो. फरहा तबरसुम	—	सदस्या
2.	कु० रीता दीक्षित	—	सदस्या
3.	डॉ. निशा	—	संयोजिका
4.	शवनम	—	सदस्या
5.	श्रीमती ममता गुप्ता	—	सदस्या
6.	श्रीमती शैलजा पाठक	—	नामित

## समय सारिणी प्रकोष्ठ

### (Time Table Committee)

1. डॉ० राज्यश्री मिश्रा	—	संयोजिका (कला संकाय)
2. कु० रीता दीक्षित	—	सदस्या (प्रभारी—विज्ञान संकाय)
3. प्रो. पूनम	—	सदस्या
4. प्रो. फरहा तबस्सुम	—	सदस्या
5. डॉ. रफत खान	—	सदस्या

(नोट— समितियों में सत्र के मध्य में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है)

## महाविद्यालय प्राचार्या कार्यालय

प्राचार्या	:	प्रो. प्रियदर्शिनी उपाध्याय, (कार्यवाहक)
कार्यालय अधीक्षक	:	स्थान रिक्त
नैतिक लिपिक	:	स्थान रिक्त
नैतिक लिपिक	:	स्थान रिक्त

**नोट:** महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय की सुचारु व्यवस्था हेतु स्वयं के स्रोतो से 05 लिपिक एवं डेटा ऑपरेटर्स संविदा पर नियुक्त किये हुए हैं।

## महाविद्यालय शिक्षक - मण्डल (अशासकीय)

### स्नातकोत्तर कला संकाय

संस्कृत विभाग	:	1. डॉ. राज्यश्री मिश्रा, एम.ए., नेट, पी-एच.डी.
संगीत विभाग	:	1. प्रोफेसर अन्जु शर्मा, एम.ए. (संगीत) पी.-एच.डी. 2. प्रोफेसर प्रियदर्शिनी उपाध्याय, एम.ए., नेट, पी-एच.डी.

### स्नातक कला संकाय

हिन्दी विभाग	:	1. डॉ. संध्या द्विवेदी, एम.ए., नेट, पी.एच.डी. 2. कीर्ति एम.ए. नेट 3. प्रीती सिंह पटेल एम.ए. नेट 4. डॉ. दीपा कन्नौजिया एम.ए. नेट, पी.एच.डी. 5. रिक्त स्थान
संस्कृत विभाग	:	1. डॉ. अनिता चौरसिया, एम.ए., नेट, पी.एच.डी. 2. श्रीमती भावना सिंह एम.ए., एम.फिल, नेट
अंग्रेजी विभाग	:	1.. कीर्ति वर्मा, एम.ए., नेट 2. शाहबुन निशा एम.ए., एम.फिल, नेट, (जे.आर.एफ.) 3. डॉ. ज्योति अग्रहरि, एम.ए., पी-एच.डी. 4. सोनाली भट्टाचार्यजी एम.ए., नेट 5. प्रियंका जायसवाल, एम.ए.-नेट 6. रिक्त स्थान 7. रिक्त स्थान
उर्दू विभाग	:	1. प्रो. फरहा तबस्सुम, एम.ए., एम.फिल, नेट, पी-एच.डी. 2. डॉ. जेबा फारुकी, एम.ए., नेट, पी.एच.डी.
संगीत विभाग	:	1. डॉ0 निष्ठा शर्मा, एम.ए., नेट, पी-एच.डी.

चित्रकला विभाग	:	1. प्रोफेसर पूनम, एम.ए., नेट, पी-एच.डी. 2. श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी, एम.ए., नेट
गृहविज्ञान विभाग	:	1. आकांक्षा यादव, (II) एम.एससी. नेट 2. रिक्त स्थान 3. रिक्त स्थान
मनोविज्ञान विभाग	:	1. पूजा जादौन, एम.ए.-नेट 2. आकांक्षा यादव एम.ए.-नेट
समाजशास्त्र विभाग	:	1. डॉ. प्रिया सिंह, एम.ए., जे.आर.एफ-नेट, पी.एचडी. 2. डॉ. ऋचा सिंह, एम.ए., नेट, पी.एचडी. 3. डॉ. चर्चा, एम.ए., नेट 4. शवनम, एम.ए., नेट 5. डॉ. निशा, एम.ए., नेट, पी.एचडी. 6. रिक्त स्थान
राजनीतिशास्त्र विभाग	:	1. माया मधुर, एम.ए., नेट 2. डॉ. अंकिता ठाकुर, एम.ए., नेट, पी.एचडी. 3. पारुल वरनबाल, एम.ए.-नेट
अर्थशास्त्र विभाग	:	1. रिक्त स्थान
शारीरिक शिक्षा विभाग	:	1. डॉ. अमृता सिंह, एम.ए., नेट, पी-एच.डी. 2. रिक्त स्थान

### विज्ञान संकाय

रसायन विज्ञान विभाग	:	1. कु. रीता दीक्षित, एम.एससी, एम.फिल
जन्तु विज्ञान विभाग	:	1. डॉ. रफत खान एम.एससी, एम.फिल, पी.एचडी.
वनस्पति विज्ञान विभाग	:	1. कु. मोनिका, एम.एससी, नेट, (परिवीक्षाकाल)

## महाविद्यालय शिक्षक - (स्ववित्त पोषित अनुभाग)

### स्नातकोत्तर कला संकाय

- समाजशास्त्र विभाग :
1. डॉ. अलका चतुर्वेदी एम.ए.,(समाजशास्त्र) पी..एच.डी. (अनुमोदित)
  2. कु. ज्योति शर्मा एम.ए., (समाजशास्त्र) नेट संविदा शिक्षक

### स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय

- जन्तु विज्ञान विभाग :
1. कु. शिवांगी शर्मा (एम.एससी, नेट) संविदा शिक्षक
  2. संविदा शिक्षक

- रसायन विज्ञान विभाग :
1. स्थान रिक्त
  2. संविदा शिक्षक

### स्नातक वाणिज्य संकाय

- वाणिज्य अनुभाग :
1. डॉ० छाया कुमारी (Account & Law) पी.-एच.डी. (अनुमोदित)
  2. डॉ० उपेन्द्र शर्मा (Account & Law) पी.-एच.डी. (अनुमोदित)
  3. डॉ० सतीश कुमार(App Busi. Eco) पी.-एच.डी. (अनुमोदित)
  4. स्थान रिक्त
  5. स्थान रिक्त

### स्नातक गृहविज्ञान संकाय

- गृह विज्ञान अनुभाग :
1. स्थान रिक्त
  2. स्थान रिक्त
  3. संविदा शिक्षक
  4. संविदा शिक्षक
  5. स्थान रिक्त

### स्नातक कला संकाय

- शिक्षाशास्त्र :
1. संविदा शिक्षक

## तृतीय श्रेणी शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग

### कार्यालय कर्मचारीगण:

1. कार्यालय अधीक्षक — श्री विश्राम सिंह यादव के सेवानिवृत्ति दिनांक:30.06.2015 से रिक्त
2. नैतिक लिपिक —: श्री राजीव गुप्ता के सेवानिवृत्ति दिनांक: 30.06.2019 से रिक्त
3. नैतिक लिपिक — श्री संजीव जैन के सेवा समाप्ति दिनांक: 05.10.2019 से रिक्त

### प्रयोगशाला कर्मचारीगण:

1. श्रीमती ममता गुप्ता — तबला संगतकार (एम.ए.—तबला)
2. श्रीमती फूलमाला राजन — प्रयोगशाला सहायक (मनोविज्ञान)
3. श्री अनिल कुमार — प्रयोगशाला सहायक (जन्तु विज्ञान)
4. श्रीमती अरुणा भट्ट — प्रयोगशाला सहायक (वनस्पति विज्ञान)
5. श्री गजेन्द्र सिंह — प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)
6. श्रीमती शैलजा पाठक — प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)

### पुस्तकालय कर्मचारीगण:

1. पुस्तकालयध्यक्ष — कु0 साबिरा खातून के सेवानिवृत्ति दिनांक: 30.06.1997 से रिक्त
2. पुस्तकालय लिपिक — डॉ. नगेन्द्र शर्मा के सेवानिवृत्ति दिनांक: 31.08.2017 से रिक्त

## चतुर्थ श्रेणी शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग

1. श्री अमर सिंह — चौकीदार
2. श्री जितेन्द्र सिंह — चपरासी
3. श्री राधेश्याम गुप्ता — खादिमा—गृहविज्ञान
4. श्री रामवीर — माली—वनस्पति विज्ञान
5. श्रीमती मालती देवी — प्रयोगशाला परिचर (रसायन विज्ञान)
6. श्री सुधीर कुमार राजौरिया — चपरासी (कला)
7. श्री ईशाचरन — जमादार
8. श्री योगेश कुमार — चपरासी
9. दपतरी — श्री जगदीश प्रसाद के सेवानिवृत्ति दिनांक: 30.06.2021 से रिक्त
10. बुक लिफ्टर — श्री वेदराम के सेवानिवृत्ति दिनांक: 31.07.2021 से रिक्त
11. चौकीदार — श्री ओमप्रकाश के सेवानिवृत्ति दिनांक: 28.02.2015 से रिक्त

12. माली – श्री शिवशंकर के सेवानिवृत्ति दिनांक: 30.06.2012 से रिक्त
13. माली – श्री राजेन्द्र बहादुर के सेवानिवृत्ति दिनांक: 30.11.2019 से रिक्त
14. प्रयोगशाला परिचर (जन्तु विज्ञान) श्री रामजी लाल के सेवानिवृत्ति दिनांक: 31.12.2019 से रिक्त
15. प्रयोगशाला परिचर (मनोविज्ञान) श्री महेश चन्द्र तृतीय के सेवानिवृत्ति दिनांक: 31.05.2021 से रिक्त
16. लैब परिचर – श्रीमती लौंगश्री के सेवानिवृत्ति दिनांक: 30.09.2020 से रिक्त
17. प्रयोगशाला परिचर(वनस्पति विज्ञान) श्रीमती दिनेश कुमारी के सेवानिवृत्ति दिनांक: 30.06.2024 से रिक्त





## डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 द्वारा अनुमोदित  
प्रवेश नियमावली सत्र 2025-26

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ साईंसेज, इंजीनियरिंग, विधि संकायों, शिक्षा एवं ललितकला की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

### आवश्यक निर्देश

1. (i) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी(एग्रीकल्चर), एलएलबी, बीएएलएलबी, एलएलएम, एमएड, बीपीएड, एमएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होंगे, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते हैं।
  - (ii) बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएससी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के **Samarth Admission Portal** के माध्यम से ही किये जायेंगे एवं **स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश Four Year Under Graduate Programme (FYUGP) के अनुरूप होंगे।** (जिसका अध्यादेश संलग्न है।) तथा बी०बी०ए०, बी०सी०ए० एवं अन्य एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रक्रिया लागू की जा सकती है।
  - (iii) प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेंटिसशिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
  - (iv) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम० आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है।
  - (v) स्नातक/परास्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की योग्यता गणना एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
  3. (i) अभ्यर्थी केवल एक बार ही समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा एवं शुल्क भी एक बार ही जमा होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी एक या एक से अधिक Programme का चयन कर सकता है। प्रत्येक प्रोग्राम को चयन करने पर उसको प्रोग्राम का SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त होगा। **Samarth Registration Number शुल्क स्नातक स्तर के एवं अन्य पाठ्यक्रमों (जिनकी अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है) हेतु ₹ 400/- तथा परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रम (स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किये जाने वाले पाठ्यक्रम जैसे- एल-एल०बी०, बी०पी०एड०, बी०एड०, एम०एड०, एल०एल०एम०, आदि) के लिए भी ₹ 400/- होगा तथा अभ्यर्थी केवल एक बार ही Samarth Registration Number का शुल्क जमा करेगा।**
  - (ii) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित लेकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

11

(ii) सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Samarth Admission Portal (समर्थ प्रवेश पोर्टल) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी सात चरणों क्रमशः

- (1) समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर (2) समर्थ आईडी से लॉगिन (3) प्रोफाइल (4) अन्य विवरण/निजी जानकायी (5) फोटो व हस्ताक्षर (6) पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चयन/भुगतान करना/फॉर्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके सातवें चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है, वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। छात्र आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, जिसके लिए उसे केवल एक बार ही समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर कराना अनिवार्य है। संस्थान/महाविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो Samarth Admission Portal की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्व की भौति योग्यता सूची के अनुसार पूर्ण की जायेगी। यथा अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग OTP द्वारा Admit प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय Samarth की Admin Login Id पर जाकर अभ्यर्थी की सीट Confirm भी करेंगे।

### सामान्य निर्देश

1. (अ) (i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "Prospectus" तैयार करायेगा, जिसमें निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे। विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य ₹0 400/- होगा।  
(ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹0 10/- के स्थान पर ₹0 25/- लिये जाने की संस्तुति की गयी।
- (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2025-2026 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 3 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
- (स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करे तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करे। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में एक एडमिशन हैल्प सेंटर होगा। जहाँ से बच्चे को प्रोग्राम, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान की जायेगी तथा फॉर्म भरने में भी उनकी मदद की जायेगी।
- (द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रद्द कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी 01 माह के अंतराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रद्द करता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।



2. (अ) सत्र 2025-26 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सेगिस्टर में ही प्रवेश दिये जायें तथा ₹ 300/- नामांकन शुल्क व ₹ 300/- उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश के समय ₹ 50/- सांस्कृतिक शुल्क, ₹ 100/- क्रीडा शुल्क व ₹ 100/- Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क भी प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा देय होगा। जो कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। उसी अनुपात में महाविद्यालय अपने उपयोग हेतु इन शुल्कों को प्रवेश शुल्क के साथ लेंगे। नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लिये जायेंगे।
- (ब) एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

**नोट-सांस्कृतिक शुल्क, क्रीडा शुल्क तथा Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा। महाविद्यालय में Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क का एकाउंट प्राचार्य द्वारा संचालित किया जाना समीचीन होगा।**

- (स) यदि कोई भी अभ्यर्थी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (FYUP के अन्तर्गत) में प्रवेश लेने के प्रथम वर्ष बाद या द्वितीय वर्ष बाद पाठ्यक्रम को छोड़ता है तो उसको एन0ई0पी0-2020 के अनुरूप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत यदि वह अभ्यर्थी पुनः अपने पाठ्यक्रम को उपाधि हेतु पूर्ण करना चाहता है तो उसको पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं पुनः प्रवेश के समय उपाधि के लिए ₹ 300/- का शुल्क जमा करना होगा। यदि वह अभ्यर्थी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने के बाद किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी अन्य पाठ्यक्रम को करने के बाद पुनः अपनी उपाधि को पूर्ण करना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय से पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं इसको पुनः नामांकन शुल्क व अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होंगे।
- (द) (i) बीएलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बीएलएलबी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।
- (iii) एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (य) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बीपीईएस 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।
- (र) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो, प्रयोगात्मक विषय की स्थिति में प्रैक्टिकल एवं थ्योरी में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (ल) एम0एससी0 में प्रवेश हेतु बी0एससी0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।
- (व) एम0एससी0(कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।  
PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B. Tech. & BCA  
उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंकों की छूट मान्य होगी।

(श) एमएससी (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बीएससी (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एमएससी (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बीएससी (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एमएससी (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(श) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ष) सभी संकायों की प्रथम वर्ष के लिए SRN (Samarth Registration Number) आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की सम्भावित तिथि निम्नानुसार होगी:-

- स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 05 मई, 2025
- स्नातक तथा डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 जून, 2025
- स्नातक डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 जुलाई, 2025
- स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 अगस्त, 2025
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।
- उक्त कार्यक्रम/तिथियों में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रवेश समिति द्वारा मा0कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन0ई0पी0-2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।
  - (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।
  - (स) नई शिक्षा नीति-2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नहीं है।
  - (द) नई शिक्षा नीति-2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नहीं है।
  - (य) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी(कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। परन्तु स्नाकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों में कर सकते हैं।
  - (र) एन0ई0पी0-2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन0ई0पी0-2020 के अनुसार अनुमान्य होंगे।
4. (अ) नियमानुसार एलएलबी 06 वर्ष, बीएएलएलबी 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
  - (ब) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।
  - (i) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
  - (ii) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(iii) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(iv) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के कम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे:-

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and Principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

**स्पष्टीकरण:** उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता निम्न प्रकार होगी:-

- (1) बीएससी (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (2) बीएससी (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (3) बीएससी (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (4) बीएससी (गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (5) बीए/बीकॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण
- (6) सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट-1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एस०सी० (कृषि)/बी०एस०सी० परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी।  
उ०प्र० बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाइंट/माक्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे :-

- (i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडियट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।
- (ii) निर्धारित मेरिट के अर्न्तगत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नहीं आते हैं तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।
- (iii) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेंट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्कीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
- (ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य-चकानुसार।
- (iii) अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेशी छात्र।

नोट- कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

- (iv) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
- (v) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :-

7. (क) स्नातक कक्षायें:-

1. इण्टरमीडियट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :-

1. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ग) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंकों की गणना निम्नवत् होगी:-

(क) बीएएलएलबी स्नातक कक्षायें:-

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडियट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षायें:-

1. इण्टरमीडियट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षायें:-

1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेन्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडियट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

**अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)**

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

**(क) स्नातक कक्षाएँ:**

- उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए  
(क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।  
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।  
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।  
(घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।
- एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक।  
अथवा  
एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक।  
अथवा  
एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में 3 अंक।  
भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
- स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री) 5 अंक।
- राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक।
- बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

**(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ:**

- विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए-  
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 8 अंक।  
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 7 अंक।  
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 6 अंक।  
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 3 अंक।
- विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए-  
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।  
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।  
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।  
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।
- एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को - 8 अंक।  
अथवा  
एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को - 6 अंक।  
अथवा  
एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। - 3 अंक।
- एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए - 5 अंक।
- महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। - 3 अंक।  
अथवा  
महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।





- (क) प्रथम विजेता होने के लिए  
 (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए  
 (ग) तृतीय विजेता होने के लिए  
 (घ) प्रतिभाग करने के लिए

- 5 अंक।  
 - 4 अंक।  
 - 3 अंक।  
 - 2 अंक।

**नोट-** उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रैंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

**(ख) सभी कक्षायें:**

- डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।  
-17 अंक।
- भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी पुत्र-पुत्री (अविवाहित)।  
-10 अंक।
- भारतीय सेना/पैरा मिलिट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में।  
-17 अंक।

**टिप्पणी:**

- प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**नोट-**


- किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
  - उपर्युक्त "1" से "3" के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
  - उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों का लाम अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।
- (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।
  - (ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही महाविद्यालय प्रवेश लेने हेतु अधिकृत होंगे।
  - (स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
  - (द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।
- (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य, कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
  - (ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।
  - (स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।
  - (द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सर्मर्फ करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।


1.5

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. नई शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा
12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक पुत्री (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

  
कुलसचिव



  
कुलपति